संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक /टीसी/14/भोपाल/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल,दिनांक:- /04/2023

प्रति,

1 **कलेक्टर,
जिला भोपाल (म.प्र.)।**

2 **संयुक्त् संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।**

3 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
भोपाल (म.प्र.)।**

4 **आयुक्त,
नगर पालिक निगम, भोपाल
जिला भोपाल (म.प्र.)।**

विषय:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) (क) के अधीन पुनर्घनत्वीकरण योजना अन्तर्गत भोपाल विकास योजना, 2005 में भूमि उपयोग उपांतरण बाबत। (शहर भोपाल स्थित कलेक्टर कार्यालय परिसर (पुराना सचिवालय) तथा ग्राम कोहेफिजा स्थित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बैरागढ़ एवं भोपाल शहर) आवेदक- म0प्र0गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल

--0--

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र **(हिन्दी एवं अंग्रेजी)** में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

**(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल**

पृ. क्रमांक 2187 /टीसी/14/भोपाल/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल,दिनांक:- 2 /04/2023

प्रतिलिपि:-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।

2 संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

**वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल**

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- २/05/2023

क्रमांक २१८५ /टीसी/14/भोपाल/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **भोपाल** विकास योजना 2005 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	राजस्व अभिलेख में कुल रकबा (हेक्टे.)	आवेदित रकबा (हेक्टे.)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1	शहर भोपाल तह. हुजूर जिला भोपाल (कलेक्ट्रेट परिसर पुराना सचिवालय)	106	7.2480	2.913	2.913	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
				0.420	0.420		वाणिज्यिक एवं मार्ग
		107	0.4820	0.4820	0.4820		मिश्रित एवं मार्ग
		108	0.2290	0.2290	0.2290		मिश्रित एवं मार्ग
		1531 / 108	0.7360	0.220	0.220		वाणिज्यिक एवं मार्ग
				0.376	0.376		मिश्रित एवं मार्ग
	कुल रकबा		8.695	4.640	4.640		
2	ग्राम कोहेफिजा तह. हुजूर जिला भोपाल (अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बैरागढ़)	87 / 1	0.4170	0.4170	0.4170	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
		60 / 1 / 1 / 2	0.2150	0.2150	0.2150		
		72 / 1 / 2	0.1010	0.1010	0.1010		
		146 / 87 / 1 / ख / 1 / 1 / 2	0.2270	0.2270	0.2270		
	(अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय शहर भोपाल)	87 / 2	0.2590	0.2590	0.2590	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
		146 / 87 / 1 / ख / 1 / 1 / 3	0.4450	0.4450	0.4450		
	कुल रकबा		1.6640	1.6640	1.6640		

शर्त :-

1. ग्राम कोहेफिजा स्थित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय शहर भोपाल की भूमि पर राजस्व अभिलेख, खसरा मानचित्र पर दर्शित मार्ग की भूमि के राजस्व अभिलेख में संशोधन कराना आवश्यक होगा।
2. कलेक्ट्रेट कार्यालय (पुराना सचिवालय) एवं अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यालयों के मध्य स्थित भोपाल-इंदौर मार्ग की चौड़ाई भोपाल विकास योजना 2005 में 60.0 मीटर निर्दिष्ट है अत: मार्ग मध्य से दोनो ओर 30.00-30.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
3. प्रश्नाधीन भूमि भोपाल विकास योजना, 2005 के उप नगर दो के अन्तर्गत स्थित है अत: भवन की उंचाई के संबंध में भोपाल विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश राजपत्र 25/01/2013 के प्रावधान मान्य होंगे।
4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
5. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx